संख्या-6/2017/322/52-3-2017-बजट(9)/2016टी0सी0

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□/कार्यपालक अधिकारी,
□0प्र0 राज्य हज समिति,
□□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 07 मार्च, 2017

विषयः-वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रान्तीय हज समिति को मानक मद 31-सह□□□ □□□□-सामान्य (□□□) मद में वित्तीय स्वीकृति। (आयोजनेन्तर)

□□□□,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-जी-11/245/□□0□□0□□0/2017, दिनांक 02.03.2017 □□□ □□□□□□ □0-3139/52-3-16-□□□(8)/2016, दिनांक 14.12.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0-3139/52-3-16-□□□(8)/2016, दिनांक 14.12.2016 के बिन्दु सं0-2 में अंकित

"....लेखाशीर्षक में 20-□□□□□ □□□□-सामान्य(□□□) □□□□□□□□ □□....." के स्थान पर निम्नवत् पढ़ा जायः-

".....लेखाशीर्षक में 31-□□□□□ □□□□-सामान्य(□□□) □□□□□□□□ □□....."

3. शासनादेश दिनांक 14.12.2016 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
□□□

संख्या-322(1)/52-3-17-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- □□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□
2- □□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, □□□□□□□□
3- मुख्य कोषाधिकारी, के□□□□□, □□□□□
4- कोषाधिकारी, ज□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 □□□□□
5- रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, □□□□□ □□□, □□□□□

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- कम्प्यूटर आपरेटर, अल्पसंख्यक कल्याण अनु0-3 को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दीना नाथ)
□□ □□□□

http://shasanadesh.up.nic.in

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।